भारतीय गणराज्य के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा तुर्कमेनिस्तान की राज्य खेल समिति के बीच खेल के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता

भारतीय गणराज्य के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा तुर्कमेनिस्तान की राज्य खेल समिति जिन्हें इसके बाद "पक्षों" के रूप में उल्लिखित किया गया है, ने;

ओलंपिक अभियान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करते हुए पारस्परिक तथा दीर्घकालीन लाभ के आधार पर खेल के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने की इच्छा से;

दोनों देशों के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य के अनुसरण में युवा पीढ़ी को खेल और स्वस्थ्य जीवन-शैली की सुविधा प्रदान करने के लिए;

समानता, आपसी सम्मान और आपसी लाभ के सिद्धांतों के आधार पर;

निम्नानुसार समझौता किया है:

अनुच्छेद 1

दोनों पक्ष अपने-अपने देशों के कानूनों के अनुसार खेल के क्षेत्र में तुर्कमेन- भारतीय सहयोग को बढ़ावा और प्रोत्साहन देंगे।

अनुच्छेद 2

दोनों पक्ष खेल सोसाइटियों और संघों के बीच कारोबारी संबंधों की स्थापना, विभिन्न खेलों की खेल स्पर्धाओं, मैचों में भागीदारी, संयुक्त प्रशिक्षण सत्रों के आयोजन तथा दोनों पक्षों के देशों के भू-भागों में आयोजित प्रदर्शिनियों, मेलों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, सेमिनारों, महोत्सवों का दौरा करने के उद्देश्य से विशिष्ट समूहों के आदान-प्रदान तथा सहयोग के अन्य उपायों को भी बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद 3

1. दोनों पक्ष व्यापक पैमाने के खेलों और खेल स्पर्धाओं की व्यवस्था, प्रबंधन और अनुभवों के आदान-प्रदान के क्षेत्र में सहयोग में सहायता करेंगे;

2. दोनों पक्ष खेल औषधि, खेल मनोविज्ञान, औषध शास्त्र और खेल औषधि में वैज्ञानिक अनुसंधानों के क्षेत्र में सहयोग के विकास में सहायता करेंगे।

अनुच्छेद 4

दोनों पक्ष अपने-अपने देशों के कानूनों के अनुसार अपने-अपने भू-भागों में खेल स्पर्धाओं में परस्पर प्रतिभागिता के लिए ठहरने के दौरान सीमा, सीमाशुल्क, वीजा तथा अन्य औपचारिकताओं के सरलीकरण और अन्य पक्ष के एथलीटों (खिलाड़ियों) को सुरक्षा प्रदान करने की परिस्थिति सृजित करने का प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद 5

दोनों पक्ष खेल के क्षेत्र में पेशेवर कार्मिकों के प्रशिक्षण में एक-दूसरे की सहायता करेंगे और निम्नलिखित सांख्यिकीय सूचना के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे:

i)खेल के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधानों पर;

ii)संदर्भ- सूचना और और प्रचार सामग्री;

iii)विभिन्न खेलों के कोचों और रेफरियों के लिए सेमिनारों के आयोजन पर ।

अनुच्छेद 6

दोनों पक्ष खेल के क्षेत्र में विशेषज्ञों और अनुसंधान कर्मियों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने पर सहमत हुए।

अनुच्छेद 7

इस समझौते के किसी भी प्रावधान की व्याख्या और कार्यान्वयन या प्रयोग से उत्पन्न किसी भी विवाद को दोनों पक्षों द्वारा परामर्श या बातचीत से शान्तिपूर्वक सुलझा लिया जाएगा।

अनुच्छेद 8

दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इस समझौते में संशोधन किए जा सकते हैं जिन्हें उपयुक्त प्रोटोकॉल जो इस समझौते का अभिन्न अंग है, द्वारा विधिवत निर्दिष्ट किया जाएगा।

अनुच्छेद 9

यह समझौता इसके हस्ताक्षर होने की तारीख को प्रभाव में आएगा।

यह समझौता 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। उसके बाद यह एक बार में अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए स्वत: नवीकृत हो जाएगा, बशर्ते कि किसी एक पक्ष द्वारा इसे समाप्त करने के अभिप्राय से कम से कम छह (6) महीने का एक अग्रिम लिखित नोटिस देकर वर्तमान समझौते को समाप्त न किया जाए।

वर्तमान समझौते के समाप्त होने से इस समझौते के अंतर्गत पहले से चल रही परियोजनाओं और/ या कार्यकलापों के कार्यान्वयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा ये इस समझौते के निबंधन और शर्तों के अनुसार जारी रहेंगी।

संबंधित सरकारों द्वारा इसके साक्षी के रूप में विधिवत रूप से प्राधिकृत किए जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

आशगाबात में वर्ष 2015 की दिनांक जुलाई 11, शनिवार को तुर्कमेन, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रत्येक में दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षरित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। व्याख्या के संबंध में कोई विसंगति होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारतीय गणराज्य के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के लिए	**तुर्कमेनिस्तान की राज्य खेल समिति के लिए**
(नवतेज सरना) **सेक्रेटरी वेस्ट** **विदेश मंत्रालय**	**(काकाबेय सीदोव)** **चेयरमेन** **राज्य खेल कमेटी**